न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरविन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख फैसला
112/दावा/2023(2023/256)	07.12.2023	26.06.2024

1. नेमीचन्द पुत्र स्व० श्री गोपाललाल आयु 70 वर्ष, जाति महाजन, निवासी– मकान नं. – बी–28, तलवंडी कोटा राज.
2. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल आयु 51 वर्ष, जाति महाजन, निवासी– मकान नं. –415, रामचन्द्रपुरा, छावनी कोटा (राज0)

--वादीगण,

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी राज0।

---प्रतिवादी,

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 राज. टीनेन्सी एक्ट व 136 एल.आर. एक्ट,
वाद बाबत घोषणा, एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु।

उपस्थित अभिभाषक

अभिभाषक प्रार्थीगण :– श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया

अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 राज. टीनेन्सी एक्ट व 136 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण आपस में सगे भाई है, तथा वादीगण के शामलाती खाते की कृषि आराजी वाके ग्राम नोताड़ा भोपत, पटवार हल्का नोताडा भोपत–भूअभिलेख क्षेत्र बल्लोप तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज०) में स्थित है. तथा वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में बटवारें का दावा प्रस्तुत कर अपनी शामलाती कृषि भूमि का बटवारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2019 को करवा लिया था, उसके पश्चात से ही वादीगण अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी कम 1 की कृषि आराजी खाता सं. 503 खसरा नं. 1740/27 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नं. 1754/52 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 27/994 रकबा 0.97 हैक्टेयर तथा वादी कम 2 की कृषि आराजी खाता सं. 502 खसरा नं. 1214 रकबा 0. 28 हैक्टेयर, खसरा न. 1755/52 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 49/1016 रकबा 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि का बटवारा होने के पश्चात तहसीलदार तालेड़ा द्वारा वादीगण की कृषि भूमि का बटंवारा करके ऑनलाईन तरमीम कर दी गई परन्तु उक्त तरमीम पश्चिम दिशा की और नहर वाले रास्ते की और से बराबर ना करके कृ षि भूमि को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर दो हिस्से में बांट दिया गया, तथा आगे का हिस्सा वादी कम 1 के तथा उसके पीछे का हिस्सा वादी कम 2 के हिस्से में दर्शाते हुये तरमीम कर दी बई, परन्तु वादीगण द्वारा रास्ते के अनुसार पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की और अपनी कृषि भूमि का बटवारा होने के पश्चात उक्त भूमि को रास्ते की और से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की और बराबर–बराबर विभाजित करते हुये दोनो हिस्सो के बीच में मेड डाल दी गई, जिससे की वादीगण को अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि में आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो, तथा वादीगण इसी प्रकार से अपनी अपनी कृषि भूमि को काश्त करते

Scanned with OKEN Scanner

आ रहे है। वादीगण द्वारा तहसीलदार महोदय को दिनांक 23.05.2023 को कृषि भूमि की तरमीम का शुद्धिकरण करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार तालेडा द्वारा एल.आर. महोदय को उक्त प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुये रिकॉर्ड व मौके की रिपोर्ट चाही जिस पर पटवार मण्डल नोताडा भोपत द्वारा उक्त भूमि की तरमीम पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करते हुये दिनांक 12.07.2023 को मौका पर्चा प्रस्तुत किया। तहसीलदार महोदय तालेडा द्वारा मौका पर्चे का अवलोकन करने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु असल प्रार्थना पत्र एवं मौका पर्चा माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया। वादीगण द्वारा तहसीलदार तालेडा को तरमीम मे शुद्धिकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त दुरुस्ती बाबत कार्यवाही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत करने के मौखिक निर्देश देने पर वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद क्रम 2 में वर्णित कृषि आराजी वाके ग्राम नोताड़ा भोपत, पटवार हल्का नोताडा भोपत, भू-अभिलेख क्षेत्र बल्लोप तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज०) के खाता सं. 503 खसरा नं. 1740/27 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नं. 1754/52 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 27/994 रकबा 0.97 हैक्टेयर तथा वादी कम 2 की कृषि आराजी खाता सं. 502 खसरा नं. 1214 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा न. 1755/52 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नं. 49/1016 रकबा 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि में पूर्व में की गई ऑनलाईन तरमीम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर में शुद्धिकरण करते हुये वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर से तरमीम करते हुये वादीगण की कृषि भूमि को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर से विभजित करते हुये मौका पर्चे के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 1809 दिनांक 17.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम नोताडाभोपत के आराजी ख०सं० 1755/52 रकबा 1.40 हैक्टे. खातेदार राजकुमार आ० स्व० गोपाल जाति महाजन दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख०सं० 1754/52 रकबा 0.67 हैक्टे. खातेदार नेमीचन्द पुत्र स्व० गोपाल जाति महाजन दर्ज रेकार्ड है। ऑनलाईन भू-नक्शा पर पश्चिम दिशा कि ओर नेमीचन्द का ख०स० 1754/52 प्रदर्शित होता है जबकि पूर्व दिशा की ओर ख०सं० 1755/52 खातेदार राजकुमार का हिस्सा प्रदर्शित होता है। जबकि मौके पर उक्त आराजी के उत्तर दिशा में नेमीचन्द पुत्र गोपाल रकबा 0.67 हैक्टे. पर कब्जा काश्त है। जो कि मोके पर प्रदीप कुमार पुत्र सीताराम जाति मीणा के ख०सं० 1737/51 रकबा 0.8337 हैक्टे. की मेड से लगता हुआ है इसी प्रकार दक्षिण दिशा में उक्त आराजी रकबा 1.40 हैक्टे. पर राजकुमार आ० गोपाल जाति महाजन कब्जा काश्त है मौके पर गोबरीलाल आ० जडावचन्द जाति महाजन के ख०सं० 1385/52 रकबा 1.3759 हैक्टे० की मेड से लगता हुआ है एवं कुल हिस्सा ख०सं० 1387/53 की मे से भी लगता हुआ है। रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार संशोधन हेतु पेरोकार सरकार ने न्यायालय में तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड निर्णय दिनांक 06.11.2019,प्रार्थना पत्र जमीन की तरमीम का शुद्धिकरण बाबत दिनांक 23.5.2023 ,

Scanned with OKEN Scanner

मौका पर्चा दिनांक 12.7.2023, नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा दिनांक 17.5.2024 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादीगण की मौका स्थिति एवं रेकार्ड स्थिति में भिन्नता है। मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को एकरूप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण की तरमीम संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण को मौके पर काबिज कास्त स्थिति अनुसार ख0सं0 1754/52 एवं ख0सं0 1755/52 वाके ग्राम नोताडा मोपत की पूर्व में की गई ऑनलाईन तरमीम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की और में शुद्धिकरण करते हुये वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर से तरमीम करते हुये वादीगण की कृषि भूमि को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर से विभाजित करते हुये मौका पर्चे के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार तालेडा को प्रस्तावित नक्शा मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न प्रेषित कर आदेश की पालना में तरमीम संशोधित करने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner